<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

(1) **<u>अपील/डिक्री/टी.ए./4762/2005/बीकानेर</u>**

1– रूपसिंह उर्फ दीपसिंह पुत्र स्व0 श्री सूरजमाल सिंह जाति राजपूत (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/1. श्रीमती कंवरी कंवर बेवा स्व0 रूपसिंह उर्फ दीपसिंह
1/2. प्रताप सिंह स्व0 रूपसिह उर्फ दीपसिंह
1/3. सुमेर सिंह स्व0 रूपसिह उर्फ दीपसिंह
1/4. नरेन्द्र सिह पुत्र स्व0 रूपसिंह उर्फ दीपसिंह
–समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम दादू का गांव, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।

2– मगसिह पुत्र सूरजमाल सिंह
3– बलवंत सिंह पुत्र स्व0 सूरजमाल सिंह
4– डूंगसिंह पुत्र स्व0 सूरजमाल सिह
समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम दादू का गांव, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।
5– श्रीमती बसंत कंवर पत्नि स्व0 श्री भंवर सिंह पुत्र श्री सूरजमाल सिह
6– खेतसिंह पुत्र स्व0 श्री भंवर सिंह पूत्र स्व0 सूरजमाल सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम दादू का गांव, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।
7– किशन सिंह) नाबालिग पुत्रगण स्व0 श्री भंवर सिंह पुत्र श्री सूरजमाल
8– जोगसिह) सिंह
–समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम दादू का गांव, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर जरिये माता नैसर्गिक सरंक्षक श्रीमती बसन्त कंवर
9– श्रीमती मोहन कंवर पत्नि)
10– आमसिंह पुत्र)स्व0 श्री नवल सिंह पुत्र श्री स्व0 सूरजमाल
11– नखत सिंह पुत्र) सिह
–समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम दादू का गांव, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।
11– सवाई सिंह (नाबालिग) पुत्र श्री नवल सिंह पुत्र श्री सूरजमाल सिंह
जाति राजपूत निवासी ग्राम दादू का गांव, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर जरिये माता एवं नैसर्गिक संरक्षक श्रीमती मोहन कंवर।

.....अपीलार्थीगण/वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार

.....प्रत्यर्थी/प्रतिवादी

(2) **अपील/डिक्री/टी.ए./4764/2005/बीकानेर**

1– अभय सिंह पुत्र मूल सिंह जाति राजपूत (मृतक)
जरिये वारिसान :–

1/1. श्रीमती मगी कंवर बेवा स्व0 श्री अभय सिंह
1/2. बचन सिंह पुत्र स्व0 श्री अभय सिंह
1/3. चन्द्र सिंह पुत्र स्व श्री अभय सिंह
जाति राजपूत निवासी ग्राम दादू का गांव तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।

2– सादुल सिंह पुत्र मूल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दादू का गांव तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।

3– श्रीमती पदम कंवर पुत्री मूल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दादू का गांव तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।

4– श्रीमती बने कंवर (मृतक) पुत्री मूल सिंह जरिये विधिक वारिस पुत्र अनूप सिंह (नाबालिग) जरिये मामा एवं नैसर्गिक संरक्षक श्री सादुल सिंह पुत्र श्री मूल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दादू का गांव तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।

.....अपीलार्थीगण/वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार

.....प्रत्यर्थी/प्रतिवादी

खण्ड–पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थित :
श्री एन0के0 गोयल अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्रीमती पूनम माथुर अति0राज0 अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

––––

निर्णय

दिनांकः– 29–07–2019

यह दोनों द्वितीय अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, इ.गा.न.यो., बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 354/94 व 352/94 में पारित निर्णय व डिक्री क्रमशः दिनांक 30–7–1997 व 23–7–1997 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. दोनों प्रकरणों में तथ्य विवाद बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों के साथ संलग्न रखी जावे।

3. हस्तगत दोनों द्वितीय अपीलें मियाद से बाधित प्रस्तुत किए जाने के कारण अपीलार्थीगण ने भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय कारणों के प्रस्तुत किया है। हमने उक्त दोनों प्रार्थना पत्र के बाबत उभयपक्ष को सुना। प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए कारण सद्भावी, सत्यनिष्ठ तथा ठोस होने के कारण उन पर विश्वास किया जाकर हस्तगत अपीलों के प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर दोनों प्रकरणों को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

4. प्रकरण 4762/2005 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी श्री सूरजमाल सिंह पुत्र रणजीत सिंह ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एंव धारा 124 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दादूका के खसरा नंबर 93 में रकबा 93.15 बीघा खुदकाश्त की कृषि भूमि भूतपूर्व जागीरदार जैसलमेर रियासत से काश्त पर दे दी। उक्त भूमि का अन्दाजिया रिकार्ड बनाया गया जो मौका जांच किये बिना बनाया गया इसलिए रिकार्ड में नाम गैर खातेदारी दर्ज नहीं हो सका। समरी रिकार्ड में टीनेन्ट न होने के कारण राजस्व रिकार्ड खुद के द्वारा भूमि पैमाईश करने के बावजूद दर्ज नहीं हुई परन्तु गिरदावरी जो पुख्ता पैमाईश के साथ संवत 2019 में बनी उसके कॉलम नंबर 6 में उक्त भूमि सूरजमाल सिंह के नाम दर्ज है और सूरजमाल सिंह के पुत्र के नाम गिरदावरी दर्ज हुई थी। सूरजमाल सिंह फोत हो चुका है। बुजुर्गो के द्वारा खुदकाश्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किया। कृषि भूमि खसरा नंबर 93 रिकार्ड में दर्ज विचारण न्यायालय सहायक उपनिवेशन आयुक्त, कोलायत ने तनकियात कायम की तथा अपने निर्णय दिनांक 19–11–1993 द्वारा भंवर सिंह, नक्षत्र सिंह, मगसिंह, डूंगर सिंह, दीपसिंह, बलवन्त सिंह पिसरा सूरजमाल सिंह को दादू गांव का गैर खातेदार घोषित करने का आदेश पारित किया उक्त निर्णय से व्यथित

होकर राज्य सरकार ने विरूद्ध सूरजमाल सिंह ने न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकार, बीकानेर के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–7–1997 द्वारा स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–11–1993 निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील संख्या 4762/2005 इस न्यायालय में समक्ष पेश हुई है।

5. प्रकरण संख्या 4764/2005 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण अभय सिंह, सादुल सिंह, श्रीमती बनेकंवर, श्रीमती पदम कंवर पुत्र पुत्रिया पिसरान मूल सिंह द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 125 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया कि वादीगण दादू का गांव के पुश्तैनी निवासी हैं। भूमि ग्राम दादूका गांव के खसरा नंबर 90 के क्षेत्रफल 117.16 बीघा भूमि जागीर के समय खुदकाश्त कब्जे की है। समरी सेटलमेंट संव 2012 में मौके की जांच किये बिना मौखिक पूछताछ के आधार पर रिकार्ड बनाया जिसके कारण मूल सिंह का नाम मौके पर उपस्थित न होने के कारण दर्ज नहीं हो सका। परन्तु कृषि भूमि पर वे आबाद थे। दौराने सेटलमेंट उनका नाम दर्ज नहीं हो सका। वे मौके पर लगातार काबिज है परन्तु समरी रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं है। गिरदावरी रिकार्ड संवत 2019 में भी उनका नाम दर्ज है। वर्तमान रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज नहीं है। वादीगण ढाणी कुण्ड झोपड़ा बनाकर आबाद होकर काश्त करते है। अतः वादीगण के नाम घोषणा कर रिकार्ड में बहैसियत गैर खातेदारी दर्ज करें एवं लगान कायम करें। वाद रजिस्टर किया जाकर तहसील से बिन्दुवार जवाब लिया गया। तहसील जवाब के अनुसार खसरा नंबर 90 में रकबा 127.16 बीघा मिसल बंदोबस्त संवत 2019, 2020 से 2023 तक मूल सिंह पुत्र रणजीत सिंह का नाम दर्ज होना एवं बाद के सालों में मूल सिंह के संयुक्त परिवार के सदस्यों के नाम आवंटन होना व बाद के सालों में नाजायज काश्त होकर सिविल कारावास की सजा दी गई यानि मौके पर कब्जा बदस्तूर माना है। उक्त रकबा रेन्जरों को आवंटन होना प्रस्तावित है विचारण न्यायालय द्वारा तनकियां कायम की तथा अपने निर्णय दिनांक 20–11–1993 द्वारा अभय सिंह, सादल सिंह, श्रीमती बनेकंवर, श्रीमती

पदम कंवर पुत्र पत्रियां पिसरान मूल सिंह के नाम खसरा नंबर 90 रकबा 127.16 बीघा भूमि गैर खातेदारी में घोषित की जाती है। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, इ.गा.न.यो. बीकानेर के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 23–7–1997 द्वारा अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–11–1993 व इस आदेश के क्रम में जारी डिक्री निरस्त की। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील संख्या 4764/2005 इस न्यायालय में समक्ष पेश हुई है।

6. हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/वादीगण का कथन है कि तहसील नोखा का सम्वत 2012 से पूर्व का राजस्व रेकार्ड नहीं बनाया गया था। प्रथम बदोंबस्त सम्वत 2012 में हुआ, जहां विभाग के अधिकारियों ने ग्रामवासियों से मौखिक पूछताछ करके खेतों का रेकार्ड बनाया था। उस दौरान जो व्यक्ति गांव में मौजूद था, उसका नाम बंदोबस्त रेकार्ड में दर्ज कर दिया गया तथा जो व्यक्ति गांव के बाहर था, उनके नाम के अंकन होने से रह गये। यहीं कारण है कि वादीगण का आराजी पर वास्तविक कब्जाकाश्त होते हुए भी उनका नाम रेकार्ड में अंकित नहीं किया गया। आगे बताया कि जब आराजी का सम्वत 2017 में पैमाईश हुई तब वादीगण के पिता उपस्थित थे तथा उनकी उपस्थिति में पैमाईश होने के कारण गिरदावरी में नाम का अंकन हो गया, परन्तु बंदोबस्त रेकार्ड तैयार होने के समय समरी सेटलमेंट में नाम नहीं होने के आधार पर उनके नाम का अंकन नहीं हो सका। जबकि आराजी पीढियों से उनके कब्जेकाश्त में चली आ रही है। यहीं नहीं सम्वत 2019 की गिरदावरी में उनके पिता की उपस्थिति के कारण उनके नाम का रेकार्ड में अंकन हो गया। उनका तर्क है कि वादीगण के पिता का नाम गिरदावरी सम्वत 2019 में होने के आधार पर ढाल–बांछ सम्वत 2019 में भूमि का लगान कायम होकर लगान तथा मालिकाना वसूला गया तथा इसके बाद प्रतिवर्ष वसूला जाता रहा है। इसके अतिरिक्त वादीगण अनपढ तथा अशिक्षित होने के कारण गैरखातेदारी की अधिकारों के समय कोई कानूनी

कार्यवाही नहीं कर सके। उनका यह भी तर्क है कि उनके पूर्वज अनपढ होने के कारण आराजी रकबाराज दर्ज होने की सूचना उन्हें यथासमय प्राप्त नहीं हो सकती तथा जानकारी होने के बाद उन्होंने गैरखातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए तथा इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही की गई। उनका आगे तर्क है विवादित आराजी पर उनका कब्जाकाश्त होकर उनका आवास निर्मित्त है तथा उनके वह परिवार सहित निवास करते है। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिवेश में आक्षेपित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है तथा हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री क्रमशः दिनांक 23-07-1997 तथा दिनांक 30-07-1997 को अपास्त किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री का समर्थन करते हुए कहा कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण का दावा प्राईमाफैसी सही नहीं होते हुए भी न्यायालय द्वारा दावे को अपीलार्थीगण के पक्ष में निर्णित कर कानूनी भूल की गई है। जबकि दावे का संबंधित समस्त पक्षकारों द्वारा विधिवत सत्यापन भी नहीं करवाया गया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण के दावे में सम्वत 2012 से लगातार कब्जाकाश्त होने का कोई सबूत उपलब्ध नहीं था तथा केवल मात्र 3 गवाहान के आधार पर निर्णय पारित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय की कार्यवाही में राज्य पक्ष द्वारा पेश जवाब की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आगे बताया अपीलार्थी के पिता कभी कदास कुछ रकबे पर तावानी काश्तकार रहे है, जिनको विचारण न्यायालय ने कब्जाकाश्त का निरन्तर सबूत मानकर उनके दावे को डिक्री कर दिया। जबकि कालोनी क्षेत्र में गैरखातेदारी घोषित कर रेकार्ड में अंकन करवाने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है तथा न ही ऐसी व्यवस्था राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधित है। उनका तर्क है कि धारा 15 एएए के तहत ऐसे प्रावधान है कि जो कृषक अधिनियम के प्रभावी होने के समय वार्षिक पंजिकाओं में कृषक दर्ज थे, उन्हें खातेदारी देना प्रावधित था। उनका यह भी तर्क है कि विचारण न्यायालय ने समस्त कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर तथा अपने पद का दुरूपयोग करते

हुए वादीगण के वाद में अल्प अवधि में मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर डिक्री कर कानूनी भूल की है। आगे तर्क है कि आराजी राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है, जिसमें वादीगण का किसी भी प्रकार का कब्जाकाश्त नहीं है तथा उक्त रकबा महाजन फिल्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों को आवंटन करने हेतु आरक्षित किया जा चुका है। इस कारण विवादित रकबा राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है और इस रकबे में वादीकण की कभी कदास कुछ भूमि पर नाजायज काश्त दर्ज है। उनका आगे तर्क है कि आराजी पर वादीगण का नाजायज कब्जा होने की स्थिति में उनके विरूद्ध सिविल कारावास की कार्यवाही भी अमल में लाई गई थी। उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय व डिक्री उपलब्ध रेकार्ड तथा विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्त होने योग्य है। सारांशतः प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत होने के कारण उसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत दोनों द्वितीय अपीलों को अपास्त करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया है।

9. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री एवं सम्पूर्ण अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

10. प्रश्नगत प्रकरण में मूल विवाद का बिन्दु यह है कि क्या वादीगण विवादित आराजी के गैरखातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी है अथवा नहीं ?

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी के क्रम में एक वाद बाबत घोषणात्मक, दुरूस्ती रेकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी राज्य सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वाद का प्रतिवादी राज्य सरकार ने अपना जवाबदावा पेश किया। उक्त जवाबदावा इस आशय के साथ पेश किया कि विवादित रकबा रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है

तथा वादीगण की नाजायज तौर पर काश्त दर्ज है। इसके अतिरिक्त जवाब में यह भी अंकन है कि वादीगण का विवादित आराजी पर नाजायज कब्जा होने के कारण उनके विरूद्ध सिविल कारावास की सजा की भी आज्ञा पारित की गई है। जवाब में यह बिन्दु भी दृष्टिगोचर किया गया कि विवादित रकबा महाजन फिल्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों को आवंटन हो चुका है। उक्त आवंटन की पालना में आवंटियों को आराजी का कब्जा भी सुपुर्द कर गया है। राज्य सरकार ने जवाबदावे के अन्त में वादीगण के वाद को निरस्त करने की प्रार्थना की। वाद व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने अनुतोष सहित 4 विवाद्यक किए तथा प्रत्येक विवाद्यक को विरचित करते हुए वादीगण के वाद को डिक्री करते हुए उन्हें गैरखातेदार घोषित कर दिया।

11. हमारे द्वारा उपलब्ध रेकार्ड का विधिक दृष्टि से परीक्षण किया है तथा मामले में प्रतिवादी राज्य सरकार द्वारा दिए गए जवाबदावे के क्रम में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। राज्य सरकार द्वारा दिए गए जवाब में किए गए अंकन की राजस्व रेकार्ड से अक्षरश पुष्टि होती है तथा राज्य सरकार के किए गए अंकन से हम सहमत है। मामले में राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाब एक जिम्मेदार राजस्व अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है तथा किए गए अंकन को असत्य ठहराने का कोई विधिक आधार हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। विचारण न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट है कि दावे में अंकित मौखिक साक्ष्य को यथावत स्वीकार कर लिया गया एवं दावे को साबित करने के लिए कोई अतिरिक्त साक्ष्य लेने का प्रयास नहीं किया गया। दावे को डिक्री करने को औपचारिकता मात्र माना गया एवं साक्ष्य की आवश्यकता ही अनुभव नहीं की गई है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलार्थीगण के अभिकथनों को सत्य मानते हुए बिना किसी साक्ष्य के दावे को डिक्री किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष मात्र तीन गवाहान की शहादत उपलब्ध थी तथा अस्पष्ट एवं अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर राज्य सरकार के विरूद्ध बिना कोई साक्ष्य लिये दावा डिक्री करना विधिनुकूल नहीं है। ऐसे प्रकरण में जहां न्यायालय के समक्ष पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी स्थिति में

न्यायालय किसी नवीन तथ्य को सिद्ध किये जाने की अपेक्षा कर सकता है। यह भी सुस्थापित विधि है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अभिवचित तथ्यों पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं किया जाना चाहिये एवं अभिवचित तथ्यों की पुष्टि हेतु न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य की अपेक्षा कर सकता है। अतः हमारी सुविचारित राय में मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री उपलब्ध रेकार्ड के विपरीत तथा सम्पूर्ण साक्ष्य के अभाव में पारित किए जाने के कारण हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। सारांशतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण पाया जाता है।

12. जहां तक राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्णय का प्रश्न है, राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रकरण में गुणावगुण की स्थिति का विधिक प्रावधानों के तहत परीक्षण करते हुए यह पाया है कि मामले में विचारण न्यायालय ने अल्प अवधि में अपर्याप्त साक्ष्य को उचित नहीं मानते हुए जो निर्णय पारित किया है, उसे विधिक प्रावधानों के विपरीत होना कथित कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किया है, जिससे हम सहमत है। इसके अतिरिक्त विधि सम्मत आक्षेपित निर्णय व डिक्री को अन्यथा सिद्ध करने के लिए अपीलार्थीगण ने इस द्वितीय अपील के माध्यम से हमारे समक्ष कोई नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किए है, जिनके आधार पर विधिवत तौर पर पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हमारी विनम्र राय में आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है।

13. परिणामतः प्रस्तुत दोनों द्वितीय अपीलें बलहीन पायी जाने के कारण खारिज की जाती है तथा अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी इंदिरा गांधी नहर योजना क्षेत्र, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री क्रमशः दिनांक 23-07-1997 तथा दिनांक 30-07-1997 को यथावत रखे जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य